राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8256/2020

गौरी शंकर कटारा पुत्र राम गोपाल कटारा, उम्र लगभग 47 वर्ष, ग्राम पोस्ट रास्तापाल, वाया सीमलवाड़ा, ग्राम पंचायत खरपेड़ा, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर, वर्तमान में निवासी बालाजी नगर, सामने। विद्या निकेतन, जे.आर. के पीछे मेडिकल, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. जिला परियोजना समन्वयक (मनरेगा) सह जिला कलक्टर, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, (अशा), जिला परिषद डूंगरपुर।

4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री जे.एस. भलेरिया
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मनीष टाक
श्री ललित पारीक

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

22/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 26.08.2020 (अनुलग्नक पी/6) के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत कथित रूप से 1958 के नियम 14 के अनुसार विभागीय जांच किए बिना, उससे 2,23,900/- रुपये, 1,53,900/- रुपये और 16,450/- रुपये की राशि वसूलने की मांग की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में ही बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली का आक्षेपित आदेश बिना कोई पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किए या अन्यथा सुनवाई का कोई अवसर दिए या विभाग को हुई कथित हानि का पता लगाने के लिए कोई जांच किए बिना पारित किया गया है।

3. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 द्वारा शासित है और इसके अनुसार, इसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई वसूली नहीं की जा सकती है।

4. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा हरि किशन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11560/2019, दिनांक 22.07.2020 को तय मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया है।

5. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने न्यायालय के प्रश्न पर इस बात पर विवाद नहीं किया कि आरोपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी। हालांकि, वह आग्रह करेंगे कि सरकार को हुए नुकसान या गबन या गबन के मामलों में, विभाग दोषी कर्मचारी से इसकी वसूली करने का हकदार है।

6. सिद्धांत रूप में, मैं प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हूं, लेकिन ऐसी वसूली, यदि की जानी है, तो प्रक्रिया के नियमों द्वारा शासित होगी। प्रशासनिक आदेश मनमाने ढंग से पारित नहीं किए जा सकते, वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, दोषी कर्मचारी को अपना मामला प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना।

6. न तो याचिकाकर्ता को कोई अवसर दिया गया और न ही उसके कथित अपराध के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया और न ही यह ऐसा मामला है, जहां विभाग ने सीसीए नियमों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके जांच करने का प्रयास किया हो।

7. इस आधार पर, संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि दिनांक 26.08.2020 का आरोपित आदेश संधारणीय नहीं है।

8 परिणामस्वरूप, याचिका को आवश्यक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। दिनांक 26.08.2020 का आरोपित आदेश (अनुलग्नक पी/6) विभाग को स्वतंत्रता देते हुए रद्द किया जाता है कि यदि वह कानून के अनुसार ऐसा चाहे तो उचित कार्यवाही शुरू कर सकता है।

9. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।